




तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलज जज
16/8/21	<p>वक्तु उपरो</p> <p>वकील उजवाणी वरक हेतु समय पावते हेतु, दिना 16/8/21 को पत्रावली वरक हेतु आदेश दिनांक 26/8/21 को पेश हो </p>
26/8/21	<p>वक्तु उपरो</p> <p>मूल वाड के अदालत क्र० 07 R11 CPC हुनी गई। पत्रावली मूल वाड के लिये आदेश दिनांक 21/8/21 को पेश हो </p>
31/8/21	<p>वक्तु उपरो</p> <p>पत्रावली का अन्वयक किया गया। यदि मूल वाड 07 R11 CPC का पत्र रचीकर किया जाकर रवारिफ हो चुका है। मूल वाड रवारिफ होने से अब डक का पत्र में कोई कार्रवाई शक्य नहीं रहे। अर्थात् उकावती होने से उजवाणी का डक पत्र रवारिफ किया जाता है। पत्रावली रचकर भेजकर नजर से कर ले। वाड वकील पत्रावली रचकर भेजा भेजकर पत्रावली हो </p>